न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 06/2023 (अपील)

GCMS No. 2023/50

अनवान

1. श्री छबिलाल ढोली पिता मूलचन्द ढोली निवासी सकलाल छाणी तहसील नयागांव उदयपुर।
2. श्री नगजीराम पिता मूलचंद ढोली निवासी सकलाल छाणी, तहसील नयागांव उदयपुर।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नयागांव, जिला—उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री भगवतसिंह शक्तावत, अपीलान्ट्स अधिवक्ता।
2. श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता रेस्पो.।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 309 तहसीलदार नयागांव आदेश दिनांक 10.07.2023

* निर्णय *

दिनांक— 30-04-2024

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सकलाल, पटवार हल्का सकलाल, भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र छाणी तहसील नयागांव, जिला उदयपुर के राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी आराजी संख्या 1812 रकबा 0.1500 है. कृषि भूमि अपीलाण्ट्स द्वारा अपने पिता श्री मूलचंद पिता धुला जी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.04.2023 से क्रय की गई। उक्त नामान्तरकरण संख्या 309 दिनांक 20.06.2023 स्वीकृत होकर जमाबन्दी सम्वत 2075—2078 में क्रयशुदा आराजी संख्या 1812 रकबा 0.1500 है. भूमि अपीलांट्स के खाते दर्ज हुई, तत्पश्चात हल्का पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बिना आधार के की गई विधि विरूद्ध रिपोर्ट ''पंजीयन दस्तावेज में क्रेता एवं विक्रेता पिता—पुत्र हो दस्तावेज में पिता एवं पुत्र की जाति अलग अलग होने की वजह से नामान्तरकरण निरस्त करने योग्य है।'' के आधार पर तहसीलदार नयागांव [illegible]पित निर्णय पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत कर निवेदन है किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं विधि के विपरित होने से काबिल निरस्त [illegible] है। अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Date: 2024.05.06 16:56:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करने का अधार ''पंजीयन दस्तावेज में मूलचंद (पिता) की जाति वायती(ओबीसी) व पुत्रों की जाति ढोली(एससी) अंकित होने'' को आधार मान विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया जो काबिल निरस्त के है। विक्रेता ओबीसी जाति का होने से व क्रेता एससी जाति के होने से उनके मध्य विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने में कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अनुसुचित जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसुचित जाति के व्यक्ति को विक्रय करना प्रतिबंधित है, उक्त प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति नहीं होते हुए भी जो विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया वह काबिल निरस्त के हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पिता–पुत्रों की जाति की भिन्नता होना मान नामान्तरकरण खारिज किये जाने का निर्णय पारित किया, जबकि राजस्व रेकर्ड में पिता मूलचंद की जाति वायती अंकित हैं जो ढोली जाति का गौत्र हैं तथा पिता व पुत्रों के मध्य विक्रय पत्र निष्पादित किये जाने में भी किसी प्रकार की कानूनी बाध्यता नहीं हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण निरस्त करने का आक्षेपित निर्णय पारित किय वह काबिल निरस्त के हैं। विक्रेता एवं क्रेता की जाति में भिन्नता होना अथवा पिता द्वारा पुत्रों के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करना किसी विधि द्वारा वर्जित नहीं हैं। अपीलांट्स द्वारा जमाबन्दी की नकल दिनांक 02.11.2023 को ली गई, जिसमें निरस्त नामान्तरकरण 309, 10.07.2023 बेचान का दाखिला लगा होने से अपीलांट्स द्वारा आक्षेपित निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया गया। नकल दिनांक 02.11.2023 को मिलने पर आक्षेपित निर्णय की जानकारी अपीलांट्स को हुई, जानकारी होते ही अविलम्ब श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई हैं, विलम्ब शमन हेतु पृथक से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित निर्णय निरस्त नामान्तरकरण सख्या 309, दिनांक 10.07.2023 बेचान को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा ढोली से सम्बन्धित जाति का परिपत्र पेश कर निवेदन किया कि पिता द्वारा अन्य को विक्रय करने पर आमादा होने पर अपीलांट ने अपने पिता से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी। क्रेता–विक्रेता आपस में पिता–पुत्र है। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोला एवं जाति अलग–अलग बताते हुए खारिज कर दिया। सरनेम अलग–अलग है जबकि जाति दोनो पक्षों की एक ही है। ढोली की उपजाति वायती है। पिता ओबीसी है तो भी एस.सी का व्यक्ति किसी की भी जमीन खरीद सकता है। निर्णय में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को गलत नहीं बताया है। अपील स्वीकार कर आक्षेपित निर्णय निरस्त कर नामान्तरण संख्या 309, दिनांक 10.07.2023 बेचान को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। राज्य अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Date: 2024.05.06 16:56:38 IST
Reason: SelfAttested

हमने अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। दस्तावेजात के अध्ययन से अपीलाण्ट्स द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.04.2023 को अपने पिता श्री मुलचन्द्र पिता धुला वायती से भूमि क्रय की। जिसका नामान्तरकरण संख्या 309 दिनांक 20.06.2023 को भरकर पटवारी हल्का सकलाल द्वारा इस आशय की रिपोर्ट ''निवेदन है कि पंजीयन दस्तावेज में क्रेता एवं विक्रेता पिता–पुत्र है दस्तावेज में पिता एवं पुत्र की जाति अलग–अलग है जिससे नामान्तरण निरस्त किया जाना फरमावे।'' कर भू.अ.नि. छाणी को अग्रेषित किया। जिस पर भू.अ. निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट '' मुताबिक पटवारी रिपोर्ट अनुसार पिता व पुत्र की जाति अलग–अलग होने की वजह से नामान्तरण जांच कर निरस्त करने योग्य है।'' कर तहसीलदार भू.अ. नयागांव को अग्रेषित किया। जिस पर तहसीलदार नयागांव द्वारा '' मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व जांच आईएलआर एवं पंजीयन दस्तावेज में मूलचन्द (पिता) की जाति बायती (ओबीसी) व पुत्रों की जाति ढोली (एससी) अंकित है। इस प्रकार पिता–पुत्रों की जाति में भिन्नता व इरादतन गलत दस्तावेज के मध्येनजर नामा. खारिज किया जाता है।'' टिप्पणी अंकित कर उक्त नामान्तरकरण को खारिज कर दिया गया। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा केवल जाति को आधार मान कर नामान्तरकरण को खारिज कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। इससे काश्तकारों को भारी परेशानी का सामना करना पडता है। चूंकि प्रकरण में यदि क्रेता एवं विक्रेता को पिता एवं पुत्र नहीं माने तो भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे विक्रेता की जाति ओबीसी अंकित हैं एव क्रेता की एस.सी. है इस आधार पर नामान्तरकरण का खोला जाना विधि विरूद्ध नहीं है। इससे रा.का.अधि. की धारा 42बी का उल्लंघन नहीं होता है। तहसीलदार को यदि लगा कि नामान्तरकरण विवादित है तो उन्है प्रकरण दर्ज करते हुए पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का अवसर देकर सुनवाई उपरान्त नामान्तरकरण को पारित करना चाहिए था, बल्कि तहसीलदार ने एसा नही कर बिना दस्तावेज का अध्ययन किये प्रकरण को बिना समझे केवल मात्र पटवारी एवं भू.अ. के रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त नामान्तरकरण को खारिज कर दिया गया है, जो कि एक त्रृटिपूर्ण आदेश है जिसकी तहसीलदार स्तर के अधिकारी से अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का स्पष्टीकरण परिपत्र एफ11(125)/ओबीसी/नगारची–दमामी/आरएण्डपी/सान्याअवि/2013/48859 जयपुर दिनांक 22.06.2018 से निर्देश जारी किये है कि **'' समस्त सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि तद्नुसार ढोली जाति की उपजातीय व अन्य उपजातीय वर्ग जैसे नगारची, दामामी, राणा, बायती(बारोट) के नाम से जाने जाते है तथा राजस्व रिकार्ड/ अन्य रिकार्ड में इस तरह का उल्लेख मिलता है तो आवेदन करने पर ढोली जाति का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने की नियमानुसार कार्यवाही करावे।''** चूंकि प्रकरण में क्रेता एवं विक्रेता दोनो आपस में पिता–पुत्र है एवं दोनो की जाति ढोली है पिता सरनेम वायती लगाते है जो कि ढोली की उपजाति होकर एस.सी में ही आते है। तहसीलदार द्वारा नामान्तरण जांच में त्रुटि की गई है। चूंकि जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रकिया में पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा भी जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Date: 2024.05.06 16:56:38 IST
Reason: SelfAttested

हेतु रिपोर्ट की जाती है। प्रथम दृष्टया पटवारी एवं तहसीलदार को ढोली जाति एवं उनकी उपजातियों का भलीभांति ज्ञान होना स्पष्ट है। ऐसी स्थति में केवल मात्र पटवारी एवं भू.अ. की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण को खारिज किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण निर्णय है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाकर मौजा सकलाल, पटवार हल्का सकलाल तहसील नयागांव में तहसीलदार नयागांव द्वारा नामान्तरकरण संख्या 309 दिनांक 20.06.2023 के आदेश को अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार नयागांव को आदेशित किया जाता है कि वादगस्त विक्रय पत्र दिनांक 27.04.2023 वर्तमान में यदि अस्तित्व मे है एवं किसी न्यायालय से स्थगन न हो तो 15 दिवस मे नामान्तरकरण पारित किया जावे। प्रकरण में गलत एवं त्रृटिपूर्ण नामान्तरकरण की कार्यवाही के लिए तत्कालीन पटवारी, भू.अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लिखा जावे। निर्णय प्रति पालनार्थ भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dipendra Singh Rathor
Date: 2024.05.06 16:56:38 IST
Reason: SelfAttested